ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0031313

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
	27.08.2013 1. प्रकरण क्रमांक L0031313 मेसर्स वैष्णव फायबर्स लिमिटेड विरूद्ध अधीक्षण यंत्री में पारित आदेश दिनांक 17.06.13 का पालन अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से नहीं किया जा रहा है, इस आशय की शिकायत उपभोक्ता की ओर से दिनांक 22.07.13 को प्रस्तुत की गई थी । इस शिकायत के संबंध में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से जवाब दिनांक 22.08.13 को प्रस्तुत किया गया है । विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से प्रस्तुत जवाब की प्रति दिनांक 24.08.13 को उपभोक्ता को प्रदान किया गया है । 2. सुसंगत आदेश दिनांक 17.06.13 की कण्डिका – 17 का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता के पक्ष में इस आशय का आदेश दिया गया था कि अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी उपभोक्ता से दिनांक 1 दिसम्बर 2011 से 1000 के.वी.ए. संविदा मांग के आधार पर विद्युत देयक की वसूली करें । इस अवधि में उपभोक्ता द्वारा यदि 1000 के.वी.ए. संविदा मांग से अधिक मांग के आधार पर कोई राशि जमा की है तो उसका समायोजन उपभोक्ता के हित में किया जाए और यदि उपभोक्ता द्वारा 1350 के.वी.ए. मांग के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी देयक की राशि जमा की गई है तो इस आधार पर उसका विद्युत विच्छेदन न किया जाए और यदि इस आधार पर उसका विद्युत विच्छेदन किया गया है तो उसे पुनः जोड़ा जाए । 3. अनावेदक के जवाब के अनुसार उपभोक्ता ने दिनांक 09.11.12 को अधिकतम भार 1000 के.वी.ए. के स्थान पर 1100 के.वी.ए. किए जाने का आवेदन दिया था, जिसे स्वीकार किया जाकर दिनांक 26.12.12 को उभयपक्ष के मध्य पूरक अनुबंध निष्पादित हुआ था और दिनांक 01.11.12 से 1000 के.वी.ए. के स्थान पर 1100 के.वी.ए. का अधिकतम भार उपभोक्ता को स्वीकार किया गया था । ऐसी स्थिति में दिसम्बर 2011 से अक्टूबर 2012 विद्युत उपभोक्ता से 1000 के.वी.ए. के अनुसार बिलिंग कर संशोधित बिल जारी किया गया है तथा दिनांक 26.12.12 को निष्पादित अनुबंध के अनुसार दिनांक 01.11.12 से जून 2013 तक 1100 के.वी.ए. के आधार पर उपभोक्ता को बिल दिया गया है । 4. विद्युत लोकपाल का प्रश्नगत् आदेश उस दिन तक प्रभावी होता है, जब तक उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी के मध्य अन्य कोई अनुबंध निष्पादित नहीं होता । इस मामले में दिनांक 26.12.12 को उभयपक्ष के मध्य पूरक अनुबंध निष्पादित हुआ था और ऐसे अनुबंध के अनुसार दिनांक 01.11.12 से उपभोक्ता ने 1000 के.वी.ए. के स्थान पर 1100 के. वी.ए. भार की मांग की थी । अतः ऐसे पूरक अनुबंध के अनुसार यदि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा देयक जारी किया जा रहा है तो ऐसे देयक जारी किए जाने के आधार पर यह **..... निरन्तर**	

ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0031313

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
	पूर्व पृष्ठ से निरन्तर ..... माना जा सकता है कि अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत लोकपाल के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है । दिनांक 26.12.12 को उभयपक्ष के मध्य पूरक अनुबंध निष्पादित होने के बाद ऐसे अनुबंध की शर्तें उपभोक्ता पर लागू होगी तथा प्रश्नगत् आदेश दिनांक 01.11.12 के बाद प्रभावशील नहीं होगा । 5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपभोक्ता की शिकायत निराधार होना पाया जाता है, अतः उसकी शिकायत निरस्त की जाती है । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए । **विद्युत लोकपाल** **प्रतिलिपि :** 1. आवेदक की ओर प्रेषित । 2. अनावेदक की ओर प्रेषित । 3. फोरम की ओर प्रेषित । **विद्युत लोकपाल**	